चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).आज दिनांक 16.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाठक के मार्गदर्शन में ज्येष्ठ मास अमावस्या मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एस-चेक टीम, डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) एवं एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रामघाट सीतापुर क्षेत्र में व्यापक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान रामघाट, परिक्रमा मार्ग, प्रमुख मठ-मंदिरों, घाटों तथा आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों का गहन निरीक्षण एवं चेकिंग की गई। डॉग स्क्वायड एवं बीडीएस टीम द्वारा संदिग्ध वस्तुओं, लावारिस सामान एवं संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रमुख प्रवेश एवं निकास मार्गों पर भी सतर्क निगरानी रखी गई।

चेकिंग के दौरान आमजन एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा मेले में शांति, सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी एवं प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

चित्रकूट पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सकुशल दर्शन व्यवस्था हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह तथा उनके हमराहीगण द्वारा चेकिंग के दौरान रानीपुर भट्ट गौशाला गोबरिया रोड के पास से अभियुक्त मुन्ना उर्फ मिक्कू निषाद पुत्र स्व0 नत्थू प्रसाद निवासी मलकाना सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह

2.आरक्षी रविशंकर

3.आरक्षी लल्लू प्रसाद

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाडी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त

द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 15.06.2026 को थाना पहाडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र राममूरत वर्मा निवासी ताम्रबनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 8840/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 15.06.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 995/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त कान्तीलाल पुत्र सुन्दरलाल निवासी रानीपुर भट्ट चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह,पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 15.06.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 254/2022 धारा 323,342,376,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त इरशाद उर्फ के0पी0 पुत्र छोटे मियां निवासी ईदगाह के पास द्वारिकापुरी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.07.2022 को थाना कोतवाली कर्वी निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गई कि अभियुक्त इरशाद उर्फ केपी उपरोक्त द्वारा वादिया को होटल में बंधक बनाकर गाली गलौच ,मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देते हुये बलात्कार करना। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 14/23 धारा 254/2022 धारा 323,342,376,504,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री रजोल नागर द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी को गिरफ्तार कर दिनाँक 24.08.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।